

Corrigendum

भोपाल शहर के 10 दुग्ध उत्पाद वितरक सह—परिवहनकर्ताओं हेतु अभिरुचि की अभिव्यक्ति दिनांक 25.02.2021 को पत्रिका समाचार पत्र एवं राज एक्सप्रेस समाचार पत्र में प्रकाशित कर आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। उक्त विज्ञापन में यह वर्णित है कि “पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन प्रपत्र दिनांक 18.03.2020 को दोपहर 11:00 बजे से 01:00 बजे तक दुग्ध संघ कार्यालय में जमा किए जा सकेंगे”। जिसे “पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन प्रपत्र दिनांक 18.03.2021 को प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक दुग्ध संघ कार्यालय में जमा किए जा सकेंगे” पढ़ा जाए।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल

डेयरी प्लांट, हबीबगंज भोपाल— 462024

फोन :— (0755) 2478250 से 253 फैक्स :— 0755 — 2450896

e-mail : sanchi.bhopal@gmail.com

अभिरुचि की अभिव्यक्ति'

साँची दुग्ध उत्पाद वितरक सह-परिवहनकर्ता नियुक्ति हेतु आवेदन प्रपत्र

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल द्वारा भोपाल शहर के मार्ग क्र.01, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 एवं 12 पर दुग्ध उत्पाद वितरक सह-परिवहनकर्ता कार्य हेतु एफ.एम.सी.जी उत्पादों के वितरक कार्य का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव रखने वाले आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ एवं अनुभवी सोल प्रोप्रराईटरशिप फर्म/पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी से तीन वर्ष की अवधि के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जो कि कार्य संतोषप्रद होने पर आपसी सहमति से एक-एक वर्ष कर अधिकतम दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी। आवेदन प्रपत्र एवं नियम शर्तों का प्रारूप एवं विवरण एमपीसीडीएफ की वेबसाईट **www.mpcdf.gov.in** एवं दुग्ध संघ की वेबसाईट **www.sanchidairy.com** से डाउनलोड किये जा सकते हैं। आवेदन प्रपत्र संघ कार्यालय से दिनांक 25.02.2021 से दिनांक 17.03.2021 तक कार्यालयीन समय में प्रातः 10:30 से सायं 4:00 बजे तक नगद राशि ₹.500/- (पांच सौ रुपये मात्र) जमा कर प्राप्त किये जा सकते हैं तथा ई.एम.डी. राशि ₹.50000/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट “भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल” के नाम से भोपाल में भुगतान योग्य बनाकर आवेदन के साथ जमा करना अनिवार्य है। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन प्रपत्र दिनांक 18.03.2020 को दोपहर 11:00 बजे से 01:00 बजे तक दुग्ध संघ कार्यालय में जमा किए जा सकेंगे। जो उसी दिन अपरान्ह 3:00 बजे उपस्थित आवेदनकर्ता/अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष दुग्ध संघ कार्यालय हबीबगंज भोपाल में खोले जाएंगे। किसी भी आवेदन को सकारण स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित होगा। आवेदन प्रपत्र में यदि कोई सुधार/संशोधन होता है तो सिर्फ उपरोक्त दर्शायी गई वेबसाइट्स पर ही अपलोड किया जावेगा, अन्य और कोई भी माध्यम से प्रकाशित नहीं होगा। अतः आवेदनकर्ता निरंतर वेबसाइट का अवलोकन करें। वर्तमान में दुग्ध संघ से वितरक/वितरक सह-परिवहनकर्ता/परिवहनकर्ता व अन्य रूप में अनुबंधित किसी भी सोल प्रोप्रराईटरशिप फर्म/पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी को इस अभिरुचि की अभिव्यक्ति में आवेदन करने हेतु भोपाल दुग्ध संघ से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

क्रमांक


भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल

भोपाल शहर के अंतर्गत साँची

दुध उत्पाद वितरक सह-परिवहनकर्ता

हेतु आवेदन-प्रपत्र

वर्ष 2020-2023



भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
हबीबगंज डेयरी प्लांट, भोपाल – 462024
दूरभाष – 0755. 2680250 से 53
फैक्स नम्बर – 0755. 2450896
E-mail : sanchi.bhopal@gmail.com

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल
डेयरी प्लांट हबीबगंज भोपाल

भोपाल शहर हेतु दुग्ध उत्पाद वितरक सह-परिवहनकर्ता कार्य हेतु आवेदन प्रपत्र

- | | |
|--|---|
| 1 आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने की तिथि, समय एवं स्थान | दिनांक 25.02.2021 से दिनांक 17.03.2021 तक, कार्यालयीन समय प्रातः 10:30 से सांय 4:00 बजे तक भोपाल दुग्ध संघ कार्यालय से रु.500/- नगद भुगतान पर प्राप्त कर सकते हैं। |
| 2. आवेदन प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि, समय एवं स्थान | दिनांक 18.03.2021 दोपहर 01:00 बजे तक भोपाल दुग्ध संघ कार्यालय भोपाल। |
| 3 आवेदन खोलने की तिथि एवं समय | दिनांक 18.03.2021 अपरान्ह 3:00 बजे |
| 4 आवेदन प्रपत्र का मूल्य | रु.500/- (पांच सौ रुपये मात्र) |
| 5 आवेदन के साथ जमा की जाने वाली ई.एम.डी. राशि | प्रत्येक आवेदन के साथ रु. 50,000/- (पचास हजार मात्र) डी.डी.(डिमाण्ड ड्राफ्ट) "भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल" के नाम से देय हो एवं पेयबल एट भोपाल हो संलग्न करना अनिवार्य है। |
| 6 आवेदन खोलने का स्थान | मीटिंग हॉल, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, हबीबगंज भोपाल |

नोट:- आवेदनकर्ता को सम्पूर्ण आवेदन प्रपत्र के प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साथ ही संलग्न आवंटन एवं अनुबंध की शर्तों पर भी हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक पेज पर आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर न होने की दशा में आवेदन प्रपत्र अमान्य कर दिया जायेगा।

साँची दुग्ध उत्पाद वितरक सह-परिवहनकर्ता कार्य हेतु आवेदन पत्र

1. आवेदक सोल प्रोपाईटरशिप फर्म/पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी का नाम
.....
2. आवेदन के लिए अधिकृत सोल प्रोप्राइटर फर्म/पार्टनर फर्म/डायरेक्टर का नाम
.....
3. पिता का नाम
4. सोल प्रोपराईटरशिप फर्म/पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी का रजिस्टर्ड पता:—
.....
.....
.....
5. वर्तमान पत्राचार का पता
6. एफ.एम.सी.जी.वितरक के रूप में अनुभव
7. दूरभाष/मोबाईल नं.
8. FSSAI लाइसेंस नं
(वितरक कार्य हेतु)
9. जी.एस.टी नम्बर
10. पेन कार्ड नम्बर
11. रजिस्ट्रेशन क्रमांक
12. आयकर रिटर्न विगत तीन वर्ष का संलग्न करें। (वित्तीय वर्ष 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19)।

आवेदनकर्ता
स्वयं का
रंगीन फोटो
चस्पा करें।

आवेदक के हस्ताक्षर
नाम

नोट:— आवेदनकर्ता को सम्पूर्ण आवेदन प्रपत्र के प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर सील सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साथ ही संलग्न आवंटन एवं अनुबंध की शर्तों पर भी हस्ताक्षर सील सहित प्रस्तुत करना अनि वार्य होगा। प्रत्येक पेज पर आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर न होने की दशा में आवेदन प्रपत्र अमान्य कर दिया जायेगा।

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या.
भोपाल ।

महोदय,

साँची दुग्ध उत्पाद वितरक सह-परिवहनकर्ता भोपाल शहर के कार्य हेतु दिनांक को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित अभिव्यक्ति की अभिस्तुति आवेदन के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें एवं परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न अनुबंध की शर्तें निर्देश पढ़ कर समझ लिए गए हैं। यदि दुग्ध संघ द्वारा मुझे कार्य आवंटित किया जाता है तो मैं दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित उक्त शर्तों के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ। अतः मैं एतद् द्वारा ईएमडी राशि रु. 50,000/- (रुपये पचास हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जो कि भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल के नाम देय है, जिसका क्रमांक दिनांक जो कि, बैंक का है, संलग्न कर रहा हूँ।

क्र.	आवश्यक अर्हताएँ	विवरण	अनिवार्यतः संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज
1	आवेदनकर्ता (सोल प्रोपाइटरशिप फर्म/पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी) है।		प्रोपइटर पंजीयन प्रमाण पत्र/पार्टनरशिप डीड/पंजीयन प्रमाणपत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
2	आवेदनकर्ता (सोल प्रोपाइटरशिप फर्म/पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी का पेन कार्ड नम्बर होना अनिवार्य है।		पेन कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
3	आवेदनकर्ता (सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म/पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी) का जी.एस.टी. नम्बर होना अनिवार्य है।		जी.एस.टी.नम्बर की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
4	उपलब्ध इंसुलेटेड वाहन मॉडल निर्माण वर्ष 2016 क्षमता 350 क्रेट। नया वाहन होने की स्थिति में एक माह में वाहन उपलब्ध कराने हेतु रु.100/- के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करें।		उपलब्ध वाहन के पंजीयन की प्रति लगायें। नया वाहन खरीदने की स्थिति में रु. 100/- के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र संलग्न करें।
5	आवेदनकर्ता (सोल प्रोपाइटरशिप फर्म/पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी बैंक का नाम व खाता क्रमांक।		बैंक खाते का एक निरस्त मूल चेक संलग्न करें।
6	वित्तीय वर्ष 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19 का आयकर जमा (ITR) विवरण संलग्न करना अनिवार्य है।		आयकर विभाग को प्रस्तुत की गई वित्तीय वर्ष 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19 की आयकर विवरणी CA (चार्टेड एकाउटेंट) द्वारा प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
7	दुग्ध या दुग्ध पदार्थ वितरक कार्य हेतु वैध FSSAI लाईसेंस होना अनिवार्य है।		वैध FSSAI लाईसेंस की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।

8	(सोल प्रोपाइटरशिप फर्म/पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी का दुग्ध पदार्थ या अन्य एफएमसीजी वितरक के रूप में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।		दुग्ध पदार्थ या अन्य एफएमसीजी वितरक कार्य के अनुभव संबंधी रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र संलग्न करें तथा स्वप्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करें।
9	वर्तमान में वितरक/परिवहनकर्ता/वितरक सह परिवहनकर्ता के रूप में कार्यरत है व आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं तो दुग्ध संघ का NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करें।		मूल अनापत्ति प्रमाण पत्र परिशिष्ट 'ब' पर निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करें। यदि आवेदनकर्ता एक से अधिक मार्ग हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं तो एक आवेदन में मूल प्रति एवं अन्य आवेदनों में अनापत्ति प्रमाण पत्र की छायाप्रति लगाना अनिवार्य होगा।
10	आवेदनकर्ता (सोल प्रोपाइटरशिप फर्म/पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी को एमपीसीडीएफ/अन्य किसी भी दुग्ध संघ द्वारा किसी भी कार्य हेतु टर्मिनेट अथवा ब्लेक लिस्ट नहीं है। (इस बाबत् का रु. 100 के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करें।)		ब्लेक लिस्ट न किये जाने के संबंध में रु.100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र नोटराइज्ड कराकर निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट 'स' अनुसार संलग्न करें।
11	आवेदनकर्ता (सोल प्रोपाइटरशिप फर्म/पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी दुग्ध संघ के कोई भी अधिकारी/कर्मचारी, माननीय अध्यक्ष, एवं संचालक मण्डल के सदस्य स्वयं अथवा उनके रक्त संबंधी एवं आश्रित परिवार का सदस्य नहीं है। (इस बाबत् रु. 100 के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र)		आवेदन पत्र के परिशिष्ट 'द' पर संलग्न निर्धारित प्रारूप में रु.100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र नोटराइज्ड करा कर संलग्न करें।
12	आवेदनकर्ता (सोल प्रोपाइटरशिप फर्म/पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी के विरुद्ध किसी भी थाने में आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। (इस बाबत् रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र।)		आवेदन पत्र के परिशिष्ट 'य' पर संलग्न निर्धारित प्रारूप में रु.100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र नोटराइज्ड करा कर संलग्न करें।
13	ई.एम.डी. राशि रु. 50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) डिमाण्ड ड्राफ्ट।		भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल के नाम देय मूल डी.डी. संलग्न करें।
14	आवेदनकर्ता के नाम अधिकार पत्र (ऑथोरिटी लेटर) होना अनिवार्य है।		अधिकार पत्र (ऑथोरिटी लेटर) की मूल प्रति संलग्न करें।

नोट :- (1) उपरोक्त जानकारियों में से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

हस्ताक्षर _____

नाम :- _____

पता :- _____

मोबाइल नं. _____

अभिरुचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से साँची दुग्ध उत्पाद वितरक सह परिवहनकर्ता
कार्य हेतु आवंटन एवं अनुबंध की शर्तें :-

1. दुग्ध संघ द्वारा भोपाल शहर के 10 मार्गों पर प्रत्येक मार्ग हेतु एक दुग्ध उत्पाद वितरक सह-परिवहनकर्ता नियुक्त किया जाना है। आवेदनकर्ता आवेदित मार्ग एवं उससे संबंधित क्षेत्रों का विवरण एवं विक्रय लक्ष्य आवेदन पत्र के साथ संलग्न मार्गवार विवरण तालिका का अवलोकन कर लें।

2. चयन प्रक्रिया :-

क्र.	प्रक्रिया
1	एक आवेदनकर्ता एक से अधिक मार्गों पर आवेदन प्रस्तुत कर सकता है परन्तु उसे अधिकतम दो मार्ग ही आवंटित किये जा सकेंगे।
2	प्रत्येक मार्ग के लिए आवश्यक अर्हताएं पूर्ण करने वाले आवेदनकर्ताओं के मध्य लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से दुग्ध उत्पाद वितरक का चयन किया जाएगा।
3	यदि किसी मार्ग पर केवल एक ही आवेदन प्राप्त होता है/शेष रहता है एवं आवेदनकर्ता द्वारा आवश्यक अर्हताएं पूर्ण की जाती हैं तो उसका चयन किया जाएगा।
4	चयन प्रक्रिया मार्गवार क्रम अनुसार की जायेगी। यदि किसी आवेदनकर्ता ने दो से अधिक मार्गों पर आवेदन प्रस्तुत किया है एवं उसका चयन किसी दो मार्गों पर हो चुका है तो ऐसे आवेदनकर्ता के अन्य आवेदनों को शेष मार्गों के लिए चयन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
5	ऐसे आवेदनकर्ता जिन पर भोपाल दुग्ध संघ की लेनदारी शेष है एवं आर.आर. सी/न्यायिक कार्यवाही की गई है, उनके आवेदन को अमान्य कर दिया जायेगा व चयन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

3. कोई भी (सोल प्रोपाइटरशिप फर्म/पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी) या व्यक्ति आवेदन प्रस्तुत करने के लिए पात्र नहीं होंगे जिनको एमपीसीडीएफ द्वारा अथवा उससे संबद्ध किसी भी दुग्ध संघ की नियम शर्तों का उल्लंघन करने के कारण कार्य से पृथक कर (टर्मिनेट) या ब्लैक लिस्ट किया गया है। इस बाबत् आवेदन प्रपत्र के परिशिष्ट 'स' के प्रारूप अनुसार रु.100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटराईज्ड कराकर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

4. अपेक्षित वाहन की क्षमता एवं प्रकार :-

अ) इंसुलेटेड वाहन मॉडल वर्ष 2016 या उसके बाद का होना अनिवार्य है। यदि आवेदनकर्ता के पास आवेदन प्रस्तुत करते समय वाहन उपलब्ध नहीं है तो आवेदन स्वीकार होने की दिनांक से एक माह की अवधि में वाहन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा चयनित आवेदन निरस्त कर अमानत/ई.एम.डी राशि राजसात कर ली जावेगी।

ब) वाहन क्षमता 220 क्रेट।

- स) इंसुलेटेड वाहन (थर्मोकॉल हैवी डेन्सिटी 2इंच "या पफ इन्सुलेशन 2इंच) का होना चाहिए।
- द) इंसुलेटेड वाहन का सम्पूर्ण विवरण एवं दस्तावेज पंजीयन आदि दिया जाना आवश्यक है।
- य) आपेक्षित वाहन आवेदनकर्ता के नाम से (सोल प्रोपाईटर की दशा में), किसी एक पार्टनर के नाम से (पार्टनरशिप फार्म की दशा में), किसी भी डारेक्टर के नाम से (कम्पनी की दशा में) पंजीकृत होना अनिवार्य है।
5. समय—समय पर वाहन के इंसुलेशन की स्थिति जानने हेतु प्रथम पक्ष द्वारा एक समिति बनाकर वाहन का निरीक्षण कराया जाएगा, जिसमें समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। दुग्ध पदार्थों का नियमानुसार तापमान पर दुग्ध उत्पाद परिवहन शीतलीकृत होने का समिति सत्यापित करेंगी। सत्यापन में सही इंसुलेशन नहीं पाये जाने पर द्वितीय पक्ष को तत्काल आवश्यक सुधार करना होगा। सुधार न किये जाने की दशा में कार्यादेश निरस्त कर सकेंगे।
 6. आवेदन प्रपत्र के साथ आवेदक को रु. 50,000/- का बैंक ड्राफ्ट ई.एम.डी. राशि के तौर पर जमा करना अनिवार्य है। बैंक ड्राफ्ट "भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल" के नाम से बनाया जाय। उक्त ई.एम.डी राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा नहीं करने पर आवेदन स्वतः निरस्त माना जाएगा।
 7. भोपाल शहर के कुल 10 मार्गों पर दुग्ध उत्पाद वितरक सह—परिवहनकर्ता कार्य हेतु मार्गों का विवरण परिशिष्ट 'र' पर संलग्न है।
 8. आवेदन प्रपत्र के साथ आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी अनुबंध के पूर्व या पश्चात् भी असत्य पाये जाने पर आवेदन/कार्य आदेश निरस्त समझा जावेगा एवं संघ में जमा ई.एम.डी. एवं प्रतिभूति राशि राजसात करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा, साथ ही संबंधित के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही की जायेगी।
 9. सफल आवेदनकर्ता को अनुबंध संबंधी औपचारिकताएं पूर्ण करने हेतु पत्र दिया जाएगा। इस पत्र के जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के अंदर समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर निर्धारित प्रपत्र अनुसार रु 1000/- (रूपये एक हजार मात्र) के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करना आवश्यक होगा। यह अनुबंध कार्य आदेश जारी होने के पूर्व किया जाना आवश्यक होगा। यह अनुबंध कार्य आरम्भ करने की दिनांक..... से तीन वर्ष के लिए प्रभावशील रहेगा। दुग्ध संघ द्वारा दुग्ध उत्पाद वितरक सह—परिवहनकर्ता का कार्य तीन वर्ष की अवधि में विक्रय लक्ष्यानुरूप किये जाने तथा संतोषप्रद पाये जाने एवं वाहनों की स्थिती तथा इंसुलेशन संतोषप्रद पाये जाने पर चयन प्रक्रिया की शर्तें एवं अनुबंध की समान शर्तों के अंतर्गत अधिकृत समिति की अनुशंसा पश्चात् कार्य अवधि एक—एक वर्ष करके अधिकतम दो वर्ष हेतु आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकेगी।
 10. सफल आवेदनकर्ता को चयन उपरांत औपचारिकताएं पूर्ण करने हेतु दिये गये पत्र से 15 दिवस के अंदर समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करना होगी एवं रूपये में 3.00 (तीन लाख मात्र) नगद एवं राशि रु 2.00 दो लाख की एफ.डी.आर भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, के संयुक्त नाम से बनाकर हस्ताक्षर (डिस्चार्ज कर) दुग्ध संघ में बतौर

प्रतिभूति राशि जमा करना अनिवार्य होगा। जमा की गई राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। समय-समय पर विक्रय वृद्धि होने पर तदानुसार प्रतिभूति राशि में वृद्धि की जाएगी जिसे दुग्ध उत्पाद वितरक सह-परिवहनकर्ता को जमा करना अनिवार्य होगा। सफल आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन के साथ जमा की गई ई.एम.डी. राशि प्रतिभूति राशि में समायोजित कर ली जायेगी।

11. **दुग्ध उत्पाद वितरक सह-परिवहनकर्ता** को प्रतिदिन दुग्ध उत्पाद विक्रय राशि का अग्रिम भुगतान आर.टी.जी.एस (ई-पेमेंट) के माध्यम से दुग्ध संघ को करना होगा। ई-पेमेंट के माध्यम से प्राप्त भुगतान की जानकारी वित्त शाखा द्वारा विपणन शाखा को उपलब्ध कराने पर संबंधित दुग्ध उत्पाद वितरक सह-परिवहनकर्ता को दुग्ध उत्पाद प्रदाय किया जायेगा। कार्य आदेश जारी होने के पूर्व दुग्ध उत्पाद वितरक सह-परिवहनकर्ता को संघ में स्वयं के प्रचलित खाते की स्वहस्ताक्षरित ब्लैंक चेक बुक संघ में जमा करना होगी। ताकि शासकीय अवकाश अथवा अपरिहार्य स्थिति में संघ द्वारा धनादेश लगाकर भुगतान प्राप्त किया जा सके।
12. **दुग्ध पदार्थ** की दर निर्धारित करने में दुग्ध संघ का पूर्ण विशेषाधिकार रहेगा। कार्य आवंटित होने के उपरान्त दुग्ध उत्पाद वितरक सह-परिवहनकर्ता को साँची दुग्ध पदार्थ डेयरी संयंत्र भोपाल से स्वयं के व्यय पर एवं तापरोधी वाहन से उठाने होंगे एवं संघ द्वारा निर्धारित रिटेलर दर पर अपने क्षेत्र के फुटकर विक्रेताओं को उनकी मांग अनुसार निर्धारित समयावधि एवं तापमान पर पहुंचाना अनिवार्य होगा। दुग्ध संघ द्वारा वर्तमान दुग्ध उत्पाद वितरक सह-परिवहनकर्ता मार्जिन में यदि भविष्य में परिवर्तन किया जाता है तो यह दुग्ध उत्पाद वितरक सह-परिवहनकर्ता को मान्य किया जाना बंधनकारी होगा।
13. **दुग्ध उत्पाद वितरक सह-परिवहनकर्ता** के प्रत्येक अनादरित धनादेश पर अर्थदंड निम्नानुसार वसूल किया जाएगा :—
 - a- रु 20.00 लाख तक अनादरित धनादेश की कुल राशि पर धनादेश के निरादरित होने की तिथि से प्रथम 7 दिवस के लिए प्रत्येक दिन के अर्थदंड की राशि रु. 1000/- के मान से होगी। रु 20.00 लाख से अधिक के धनादेश निरादरित होने पर अर्थदंड रु 2000/- प्रतिदिन के मान से वसूली योग्य होगा।
 - b- यदि धनादेश के जारी होने के दिनांक से प्रथम 7 दिवस के अंदर दुग्ध उत्पाद वितरक सह-परिवहनकर्ता द्वारा लागू अर्थदंड के साथ दुग्ध संघ के खाते में राशि जमा नहीं की जाती है तो 8वें दिवस से 14वें दिवस के लिए अर्थदंड की राशि रु 20.00 लाख तक के धनादेश हेतु रु 2000/- प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी एवं रु 20.00 लाख से अधिक के धनादेश हेतु रु 4000/- प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी।
 - c- यदि इसके पश्चात् भी दुग्ध उत्पाद वितरक सह-परिवहनकर्ता द्वारा मूल राशि के साथ-साथ लागू उक्त अर्थदंड की राशि दुग्ध संघ के खाते में जमा नहीं की जाती है तो 15वें दिवस से राशि जमा करने के दिनांक तक रु 20.00 लाख तक के धनादेश हेतु अर्थदंड की राशि रु 3000/- प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी एवं रु

20.00 लाख से अधिक के धनादेश हेतु ₹ 6000/- प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी।

- d- **दुग्ध उत्पाद वितरक सह-परिवहनकर्ता** के अनादरित धनादेश की मूल राशि के साथ-साथ लागू अर्थदंड की राशि को नगद में जमा करना सुनिश्चित किया जाएगा ताकि अर्थदंड की सही मान से गणना सुनिश्चित की जा सके तथा दुग्ध संघ को आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके।
- e- एक माह में किसी भी दुग्ध उत्पाद वितरक सह-परिवहनकर्ता के अधिकतम 3 धनादेश अनादरित होने पर उनको आवंटित कार्य तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा, जिस हेतु दुग्ध उत्पाद वितरक सह-परिवहनकर्ता स्वयं जवाबदेह होगा।
- f- इसके अंतर्गत जैसे ही दुग्ध उत्पाद वितरक सह-परिवहनकर्ता के खाते से 2 धनादेश अनादरित होते हैं, दुग्ध संघ द्वारा दुग्ध उत्पाद वितरक सह-परिवहनकर्ता को सचेत करते हुए अंतिम चेतावनी जारी की जाएगी। तत्पश्चात् यदि तीसरा धनादेश भी अनादरित हो जाता है तो इस स्थिति में संबंधित दुग्ध उत्पाद वितरक सह-परिवहनकर्ता को सूचित करते हुए उसका कार्य आवंटन आदेश तत्काल निरस्त किया जाएगा तथा वसूली हेतु आवश्यक न्यायालयीन कार्यवाही की जायेगी।
14. किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता/संघ विरोधी गतिविधियों/संघ की नीतियों के विरुद्ध कार्य करते पाये जाने पर संघ द्वारा आवंटित कार्य निरस्त कर संघ में जमा प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेंगी।
15. संघ द्वारा जो दुग्ध पदार्थ प्लास्टिक क्रेट में प्रदाय किये जाते हैं, उनके लिये दुग्ध उत्पाद वितरक सह-परिवहनकर्ता को न्यूनतम 250 क्रेट्स/या जितने आवश्यक हो हेतु दुग्ध संघ से क्रय करना अनिवार्य होगा। प्रतिदिन जितनी संख्या में क्रेट में दुग्ध पदार्थ लेकर जाते हैं उसी संख्या में क्रेट प्रतिदिन वापस करना बंधनकारी होगा अन्यथा बकाया क्रेट की राशि प्रतिभूति राशि से काट ली जायेगी।
16. दुग्ध उत्पाद वितरक सह-परिवहनकर्ता एवं फुटकर विक्रेताओं के बीच किसी भी प्रकार के विवाद के लिये भोपाल दुग्ध संघ जवाबदार नहीं होगा।
17. संघ द्वारा दुग्ध उत्पाद वितरक सह-परिवहनकर्ता को उसकी अग्रिम मांग अनुसार अग्रिम भुगतान करने पर ही दुग्ध पदार्थ दैनिक रूप से उपलब्ध कराये जाएंगे, एक बार दुग्ध पदार्थ प्रदाय होने पर संघ द्वारा वापस नहीं लिये जाएंगे।
18. संघ के दुग्ध पदार्थों की शेल्फ-लाइफ 02 से 07 दिवस तक होती है अतः **दुग्ध उत्पाद वितरक सह-परिवहनकर्ता** का यह दायित्व होगा कि वह दुग्ध पदार्थों की अग्रिम मांग शेल्फ-लाइफ को देखते हुए देवें एवं निर्धारित समयावधि में बिना विपरीत रूप से गुणवत्ता प्रभावित हुए फुटकर विक्रेताओं को उपलब्ध कराए। फुटकर विक्रेताओं को शेल्फ-लाइफ की जानकारी देकर नियमानुसार कार्य करने हेतु जागरूक करने की जवाबदारी **दुग्ध उत्पाद वितरक सह-परिवहनकर्ता** की होगी।
19. **दुग्ध उत्पाद वितरक सह-परिवहनकर्ता** के पास जी.एस.टी नम्बर होना अनिवार्य है, समस्त टैक्स जमा करने की जिम्मेदारी दुग्ध उत्पाद वितरक सह-परिवहनकर्ता की होगी। साथ ही दुग्ध उत्पाद वितरक सह-परिवहनकर्ता को म.प्र. शासन/भारत

सरकार द्वारा समय—समय पर लागू किये गये अन्य टैक्स भी जमा कराना अनिवार्य होगा।

20. आवंटित क्षेत्र में दुग्ध उत्पाद वितरक सह—परिवहनकर्ता को 100% क्षेत्र कवर करना एवं दुग्ध उत्पादों का विक्रय लक्ष्य अनुसार किया जाना आवश्यक होगा। आवंटित क्षेत्रके निजी रिटेलरों को भी दुग्ध उत्पाद विक्रय करने होंगे।
21. आवेदन फार्म के परिणिष्ठ 'ल' पर माहवार विक्रय लक्ष्य दिये गये हैं। यह लक्ष्य दुग्ध उत्पाद वितरक सह—परिवहनकर्ता को आवश्यक रूप से प्राप्त करना होंगे। आवेदनकर्ता दिये गये लक्ष्यों का भलीभांति अध्ययन कर आवेदन करें।
22. प्रपत्र में दिये गये माहवार विक्रय लक्ष्यों में 15% की वृद्धि अनुबंध का एक वर्ष पूर्ण होने पर की जायेगी तथा इस प्रकार नवीन निर्धारित लक्ष्य ही उस वर्ष के लिये दुग्ध उत्पाद वितरक सह—परिवहनकर्ता को मान्य व स्वीकार होंगे।
23. दुग्ध उत्पाद वितरक सह—परिवहनकर्ता की कार्य समीक्षा दुग्ध संघ द्वारा प्रतिमाह की जायेगी तथा दुग्ध उत्पाद वितरक द्वारा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति न होने की दशा में गतमाह का शेष लक्ष्य आगामी माह के लक्ष्य में जोड़ दिया जायेगा। यदि तीन माह तक कुल संचयित मासिक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जाती है तो त्रैमासिक कार्य समीक्षा उपरांत चेतावनी दी जायेगी एवं अंतिम तीन माह का समय कुल संचयित लक्ष्य प्राप्ति हेतु दिया जायेगा। अद्वार्षिक समीक्षा उपरांत यदि यह पाया जाता है कि कुल संचयित मासिक लक्ष्यों के विरुद्ध 100% लक्ष्य प्राप्ति नहीं की गई है तो कार्य आवंटन निरस्त कर कार्य से पृथक कर दिया जायेगा।
24. संघ द्वारा पत्र/परिपत्र के माध्यम से समय—समय पर जो भी निर्देश जारी किये जाएंगे उनका पालन करना दुग्ध उत्पाद वितरक सह—परिवहनकर्ता को अनिवार्य होगा एवं इन परिपत्रों/पत्रों को अनुबंध का भाग माना जाएगा।
25. एक अथवा समस्त आवेदनों को सकारण निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।
26. वाहन में जीपीएस सिस्टम संघ के माध्यम से लगवाया जायेगा, जिसकी लागत व्यय दुग्ध उत्पाद वितरक सह—परिवहनकर्ता को तत्काल दुग्ध संघ में जमा करना अनिवार्य होगा।
27. कार्य आदेश जारी करने के पूर्व वाहन पर विनाइल फ्लेक्स सॉँची विज्ञापन दुग्ध उत्पाद वितरक सह—परिवहनकर्ता को स्वयं के खर्चे पर लगवाया जाना अनिवार्य होगा, जिसकी प्रिंटिंग खराब हो जाने पर तत्काल नया फ्लेक्स लगाने की जिम्मेदारी दुग्ध उत्पाद वितरक सह—परिवहनकर्ता की होगी अन्यथा वितरकशिप बंद कर दी जायेगी।
28. वाहन के चालक एवं हेल्पर को संघ द्वारा निर्धारित यूनीफार्म पहनने तथा पहचान पत्र होने पर ही संयंत्र परिसर में जाने की अनुमति दी जाएगी।
29. वाहन में डी.एम./चालान से अधिक माल सिक्योरिटी द्वारा पकड़े जाने पर प्रथम बार माल की 50 गुना राशि वसूली जाएगी, निरन्तर पुनरावृत्ति होने पर कार्य आदेश निरस्त कर प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जाएगी।
30. भोपाल दुग्ध संघ के माननीय अध्यक्ष, संचालक, दुग्ध सहकारी समिति के सचिव या पदाधिकारी एवं दुग्ध संघ के अधिकारी/कर्मचारी अथवा उनके परिवार के सदस्य इस आवेदन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु पात्र नहीं होंगे। इस बाबद आवेदनकर्ता को आवेदन

के साथ आगामी पृष्ठ पर संलग्न शपथ पत्र रु.100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प में भरकर देना होगा। यदि आवेदक द्वारा दिया गया शपथ पत्र गलत पाया जाता है एवं आवेदक अपात्र अथवा उनसे संबंधित पाये जाते हैं तो कार्य आवंटन पश्चात भी प्रस्तुत आवेदन एवं आवंटित कार्य निरस्त कर जमा प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जाएगी एवं आवश्यक न्यायिक कार्यवाही की जायेगी।

31. संयंत्र से सामग्री लेने के बाद सम्पूर्ण जवाबदारी दुर्घटउत्पाद वितरक सह-परिवहनकर्ता की होगी। अतः दुर्घट उत्पाद वितरक सह-परिवहनकर्ता सामग्री लेने के पूर्व सामग्री चेक करेंगे। रिटेलर तक गुणवत्ता युक्त सामग्री पहुँचाने की सम्पूर्ण जवाबदारी दुर्घट उत्पाद वितरक सह-परिवहनकर्ता की होगी।
32. दुर्घट उत्पाद वितरक सह-परिवहनकर्ता आवंटित कार्य किसी अन्य व्यक्ति/पार्टी को हस्तांतरित नहीं करेगा। ऐसा करते पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से अनुबंध निरस्त कर कार्य से पृथक कर दिया जायेगा।
33. दुर्घट उत्पाद वितरक सह-परिवहनकर्ता किसी भी समय आवश्यकता पड़ने पर भोपाल दुर्घट संघ को अपना स्टाक, रिकार्ड, गोडाउन एवं अन्य वितरकशिप से संबंधित व्यवस्थाओं की जाँच कराएगा।
34. जरूरत पड़ने पर दुर्घट उत्पाद मार्केट से रिकाल करने में दुर्घट उत्पाद वितरक सह-परिवहनकर्ता परिस्थितियों के अनुरूप दुर्घट संघ के निर्देशानुसार कार्यवाही करेगा।
35. दुर्घट उत्पाद वितरक सह-परिवहनकर्ता द्वारा साँची के उत्पादों की प्रदायगी के पश्चात् किसी भी स्तर पर उत्पादों की प्रक्रिया, मिश्रण आदि में फेरबदल किया जाता है तो कार्य आदेश निरस्त कर प्रतिभूति राशि राजसात कर ब्लैक लिस्ट किया जायेगा एवं एफ.आई.आर. व न्यायिक कार्यवाही की जायेगी।
36. यदि पक्षकारों के बीच इस ठेके के विषय में कोई विवाद खड़ा हुआ तो, प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में आरबीट्रेशन एकट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
37. संघ द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की अवहेलना की जाने या अनियमितता पाये जाने पर कार्य आदेश निरस्त करते हुये दुर्घट उत्पाद वितरक सह-परिवहनकर्ता की जमा प्रतिभूति राशि राजसात की जा सकेगी एवं ब्लैक लिस्ट किया जा सकेगा।
38. आवेदन प्रपत्र में संलग्न परिशिष्ट "अ" पर वर्णित अनुबंध की शर्तों का आवेदक पूर्ण रूप से अध्ययन कर लें। उक्त अनुबंध की शर्तें एवं कार्य आवंटन की शर्तों के अधीन सफल आवेदनकर्ता को अनुबंध निष्पादित कर कार्य संपादित करना होगा।
39. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र भोपाल रहेगा।

मेरे द्वारा साँची दुर्घट उत्पाद वितरक सह-परिवहनकर्ता कार्य आवंटन हेतु आवेदन प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें एवं अनुबंध की शर्तें पढ़ व समझ ली गई हैं तथा मैं/हम सभी शर्तों को मानने के लिए सहज तैयार हूँ/हैं। आवेदन में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा आवेदन में प्रस्तुत जानकारी कभी भी असत्य प्रमाणित होती है या मैं आवेदन प्रपत्र में वर्णित कार्य आवंटन की समस्त शर्तें एवं अनुबंध में वर्णित शर्तों का पालन नहीं करता हूँ तो मेरा आवेदन/अनुबंध निरस्त कर मेरी अर्नेस्टमनी/प्रतिभूति राशि राजसात करने का यदि प्रबंधन द्वारा निर्णय लिया जाता है तो मैं इस हेतु अपनी सहमति देता हूँ।

आवेदक का नाम, पद एवं हस्ताक्षर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि(सोल प्रोपाइटरशिप फर्म/पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी) वर्तमान में भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल के साथ के रूप में कार्यरत है तथा आज दिनांक तक की स्थिती में उक्त सोल प्रोपाइटरशिप फर्म/पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी पर भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल की कोई भी लेनदारी शेष नहीं है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

एमपीसीडीएफ या अन्य दुग्ध संघों से टर्मिनेट एवं ब्लेक लिस्ट नहीं होने संबंधी
शपथ पत्र का प्रारूप।
(रु. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर)

नाम	—
(सोल प्रोपाइटरशिप फर्म/पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी)	
पिता	—
आयु	—
निवासी	—

1— मैं शपथग्रहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा आमंत्रित भोपाल शहर हेतु दुग्ध उत्पाद वितरक सह—परिवहनकर्ता आवेदन प्रक्रिया में मेरे द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है। मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ कि मुझे (सोल प्रोपाइटरशिप फर्म/पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी) को एमपीसीडीएफ भोपाल अथवा सम्बद्ध किसी भी दुग्ध संघ द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता के कारण टर्मिनेट अथवा ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया है।

इति दिनांक	भोपाल	हस्ताक्षर शपथग्राहिता
		(सोल प्रोपाइटरशिप फर्म/पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी)

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 में वर्णीत संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के अधार पर सत्य एवं सही है। इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक	भोपाल	हस्ताक्षर शपथग्राहिता
		(सोल प्रोपाइटरशिप फर्म/पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी)

**दुग्ध संघ के अध्यक्ष/संचालक/कर्मचारी से कोई संबंध नहीं होने का
शपथ पत्र का प्रारूप
(रु. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर)**

नाम	—
(सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म/पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी)	
पिता	—
आयु	—
निवासी	—

01— भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा भोपाल शहर हेतु दुग्ध उत्पाद वितरक सह—परिवहनकर्ता की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं। मेरे द्वारा भोपाल शहर हेतु दुग्ध उत्पाद वितरक सह—परिवहनकर्ता के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है। तत्संबंध में मैं शपथपूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ कि मैं तथा फर्म के अन्य पार्टनर/डायरेक्टर भोपाल दुग्ध संघ के माननीय अध्यक्ष महोदय/प्राधिकृत अधिकारी किसी भी संचालक महोदय, दुग्ध संघ के किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी से मेरा रक्त संबंध नहीं है एवं मैं आश्रित परिवार का सदस्य नहीं हूँ।

इति दिनांक भोपाल	हस्ताक्षर शपथग्राहिता
(सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म/पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी)	

सत्यापन

मैं शपथग्राहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के अधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक भोपाल	हस्ताक्षर शपथग्राहिता
(सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म/पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी)	

किसी भी पुलिस थाने में अपराधिक प्रकरण नहीं होने संबंधी
शपथ पत्र का प्रारूप।
(रु. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर)

नाम	—
(सोल प्रोपाइटरशिप/फर्म/पार्टनरशिप/कम्पनी)	
पिता	—
आयु	—
निवासी	—

1— मुझ शपथग्रहिता द्वारा भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा आमंत्रित भोपाल शहर हेतु दुग्ध उत्पाद वितरक सह—परिवहनकर्ता आवेदन प्रक्रिया में भाग लिया गया है। मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ कि मेरे (सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म/पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी) के विरुद्ध किसी भी थाने में किसी भी प्रकार का कोई अपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है एवं किसी भी न्यायालय में कोई भी अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

इति दिनांक	भोपाल	हस्ताक्षर शपथग्राहिता
		(सोल प्रोपाइटरशिप फर्म/पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी)

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के अधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक	भोपाल	हस्ताक्षर शपथग्राहिता
		(सोल प्रोपाइटरशिप फर्म/पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी)

भोपाल शहर हेतु साँची दुग्ध उत्पाद वितरक सह—परिवहनकर्ता कार्य अनुबंध की शर्तें

यह अनुबंध आज दिनांक को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ, मर्यादित, भोपाल जिसे आगे प्रथम पक्ष के नाम से संबोधित किया जावेगा एवं मेसर्स भोपाल द्वारा बतौर साँची दुग्ध उत्पाद वितरक सह—परिवहनकर्ता (द्वितीय पक्ष) की हैसियत से दुग्ध संघ द्वारा मार्ग क्रमांक के लिए दिनांक से दिनांक तक अवधि वास्ते अनुबंधित कर हस्ताक्षरित किया गया है। इन्हें आगे बतौर द्वितीय पक्ष से संबोधित किया जावेगा। इस अनुबंध के तहत् अभिव्यक्ति की अभिरुचि के अंतर्गत निर्धारित आवेदन प्रपत्र में दी गई समस्त शर्तें एवं निम्न शर्तों के अधीन भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल व साँची दुग्ध उत्पाद वितरक सह—परिवहनकर्ता कार्य संपादित करेंगे।

1. यह अनुबंध विशुद्ध रूप से व्यावसायिक अनुबंध है तथा इसके तहत् साँची दुग्ध उत्पाद वितरक सह—परिवहनकर्ता को एक माह की पूर्व सूचना देकर दुग्ध संघ के हित में यह अनुबंध निरस्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा। द्वितीय पक्ष इस अनुबंध के तहत् कार्य नहीं करना चाहता है तो, उसे प्रथम पक्ष को एक माह का लिखित अग्रिम नोटिस द्वितीय पक्ष के कार्य छोड़ने बावत् देना होगा।
2. समय—समय पर वाहन के इंसुलेशन की स्थिति जानने हेतु प्रथम पक्ष द्वारा एक समिति बनाकर वाहन का निरीक्षण कराया जाएगा, जिसमें समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। दुग्ध पदार्थों का नियमानुसार तापमान पर दुग्ध उत्पाद परिवहन शीतलीकृत होने का समिति सत्यापित करेंगी। सत्यापन में सही इंसुलेशन नहीं पाये जाने पर द्वितीय पक्ष को तत्काल आवश्यक सुधार करना होगा। आवश्यक सुधार न करने पर कार्यादेश निरस्त कर सकेंगे।
3. यह अनुबंध दिनांक से तीन वर्ष के लिए प्रभावशील रहेगा। प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष वितरक सह—परिवहनकर्ता का कार्य तीन वर्ष की अवधि में लक्ष्यानुरूप विक्रय किये जाने एवं संतोषप्रद पाये जाने पर चयन प्रक्रिया की शर्तें एवं अनुबंध की समान शर्तों के अंतर्गत कार्य अवधि एक—एक वर्ष कर अधिकतम दो वर्ष हेतु आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकेंगी।
4. द्वितीय पक्ष को रु 300000/- (तीन लाख मात्र) का डी.डी. भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के नाम देय पेयबल एट भोपाल एवं राशि रु 200000/- (दो लाख मात्र) की एफ.डी.आर भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, के संयुक्त नाम से बनाकर हस्ताक्षर (डिस्चार्ज कर) प्रथम पास बतौर प्रतिभूति राशि जमा करना अनिवार्य होगा। नगद जमा की गई प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। समय—समय पर विक्रय वृद्धि होने पर तदानुर विक्रय राशि में वृद्धि की जाएगी, जिसे द्वितीय पक्ष को जमा करना अनिवार्य होगा।
5. द्वितीय पक्ष को प्रतिदिन दुग्ध उत्पाद विक्रय राशि का अग्रिम भुगतान आर.टी.जी.एस (ई—पेमेंट) के माध्यम से प्रथम पक्ष को करना होगा। ई—पेमेंट के माध्यम से प्राप्त भुगतान की जानकारी प्रथम पक्ष के वित्त शाखा द्वारा विपणन शाखा को उपलब्ध कराने पर द्वितीय पक्ष को दुग्ध उत्पाद प्रदाय किया जायेगा। एक बार दुग्ध पदार्थ प्रदाय होने के पश्चात् प्रथम पक्ष द्वारा वापस नहीं लिये जाएंगे द्वितीय पक्ष को संघ में

स्वयं के प्रचलित खाते की स्वहस्ताक्षरित ब्लेंक चेक बुक संघ में जमा करना होगी। ताकि शासकीय अवकाश अथवा अपरिहार्य स्थिति में संघ द्वारा धनादेश लगाकर भुगतान प्राप्त किया जा सके।

6. दुग्ध पदार्थ की दर निर्धारित करने में प्रथम पक्ष का पूर्ण विशेषाधिकार रहेगा। द्वितीय पक्ष को साँची दुग्ध पदार्थ डेयरी संयंत्र भोपाल से स्वयं के व्यय पर एवं तापरोधी वाहन से उठाने होंगे एवं प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित रिटेलर दर पर अपने क्षेत्र के फुटकर विक्रेताओं को उनकी मांग अनुसार निर्धारित समयावधि एवं तापमान पर पहुंचाना अनिवार्य होगा। प्रथम पक्ष द्वारा वर्तमान वितरक मार्जिन में यदि भविष्य में परिवर्तन किया जाता है तो यह द्वितीय पक्ष को मान्य किया जाना बंधनकारी होगा।
7. द्वितीय पक्ष के प्रत्येक अनादरित धनादेश पर अर्थदंड निम्नानुसार वसूल किया जाएगा :—
 - a- रु 20.00 लाख तक अनादरित धनादेश की कुल राशि पर धनादेश के अनादरित होने की तिथि से प्रथम 7 दिवस के लिए प्रत्येक दिन के अर्थदंड की राशि रु 1000/- के मान से होगी। रु 20.00 लाख से अधिक के धनादेश अनादरित होने पर अर्थदंड रु 2000/- प्रतिदिन के मान से वसूली योग्य होगा।
 - b- यदि धनादेश के जारी होने के दिनांक से प्रथम 7 दिवस के अंदर द्वितीय पक्ष द्वारा लागू अर्थदंड के साथ प्रथम पक्ष के खाते में राशि जमा नहीं की जाती है तो 8वें दिवस से 14वें दिवस के लिए अर्थदंड की राशि रु 20.00 लाख तक के धनादेश हेतु रु 2000/- प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी एवं रु 20.00 लाख से अधिक के धनादेश हेतु रु 4000/- प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी।
 - c- यदि इसके पश्चात् भी द्वितीय पक्ष द्वारा मूल राशि के साथ-साथ लागू उक्त अर्थदंड की राशि प्रथम पक्ष के खाते में जमा नहीं की जाती है तो 15वें दिवस से राशि जमा करने के दिनांक तक रु 20.00 लाख तक के धनादेश हेतु अर्थदंड की राशि रु 3000/- प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी एवं रु 20.00 लाख से अधिक के धनादेश हेतु रु 6000/- प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी।
 - d- द्वितीय पक्ष के अनादरित धनादेश की मूल राशि के साथ-साथ लागू अर्थदंड की राशि को नगद में जमा करना सुनिश्चित किया जाएगा ताकि अर्थदंड की सही मान से गणना सुनिश्चित की जा सके तथा प्रथम पक्ष को आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके।
 - e- एक माह में द्वितीय पक्ष के अधिकतम 3 धनादेश अनादरित होने पर उनको आवंटित कार्य निरस्त कर दिया जायेगा, जिस हेतु द्वितीय पक्ष स्वयं जवाबदेह होगा।
 - f- इसके अंतर्गत जैसे ही द्वितीय पक्ष के खाते से 2 धनादेश अनादरित होते हैं, प्रथम पक्ष द्वारा वितरक को सचेत करते हुए अंतिम चेतावनी जारी की जाएगी। तत्पश्चात् यदि तीसरा धनादेश भी अनादरित हो जाता है तो इस स्थिति में द्वितीय पक्ष को सूचित करते हुए उसका कार्य आवंटन आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाएगा तथा वसूली हेतु आवश्यक न्यायालयीन कार्यवाही की जायेगी।

8. किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता/संघ विरोधी गतिविधियों/संघ की नीतियों के विरुद्ध कार्य करते पाये जाने पर प्रथम पक्ष द्वारा कार्य आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा एवं प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेंगी।
9. प्रथम पक्ष द्वारा जो दुग्ध पदार्थ प्लास्टिक क्रेट में प्रदाय किये जाते हैं, उनके लिये द्वितीय पक्ष को न्यूनतम 250 क्रेट्स/या जितने आवश्यक हो हेतु दुग्ध संघ से क्रय करना अनिवार्य होगा। प्रतिदिन जितनी संख्या में क्रेट में दुग्ध पदार्थ लेकर जाते हैं उसी संख्या में क्रेट प्रतिदिन वापस करना बंधनकारी होगा अन्यथा बकाया क्रेट की राशि प्रतिभूति राशि से काट ली जायेगी।
10. फुटकर विक्रेताओं से दुग्ध पदार्थों की राशि वसूली करना द्वितीय पक्ष का कार्य होगा। द्वितीय पक्ष एवं फुटकर विक्रेताओं के बीच किसी भी प्रकार की वचनबद्धता एवं विवाद के लिए प्रथम पक्ष जवाबदार नहीं होगा।
11. वाहन की तापरोधन क्षमता के कारण यदि दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता प्रभावित होती होने की दशा में प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष पर राशि रूपये 5000/- (पांच हजार रूपये मात्र)पेनाल्टी स्वरूप अधिरोपित किया जायेगा। प्रथम पक्ष द्वारा गठित समिति द्वारा जांच की जायेगी, आवश्यक सुधार न करने पर कार्यादेश निरस्त कर सकेंगे।
12. प्रथम पक्ष के दुग्ध पदार्थों की शेल्फ-लाइफ 02 से 07 दिवस तक होती है अतः द्वितीय पक्ष का यह दायित्व होगा कि वह दुग्ध पदार्थों की अग्रिम मांग शेल्फ-लाइफ को देखते हुए देवें एवं निर्धारित समयावधि में बिना विपरीत रूप से गुणवत्ता प्रभावित हुए फुटकर विक्रेताओं को उपलब्ध कराए। फुटकर विक्रेताओं को शेल्फ-लाइफ की जानकारी देकर नियमानुसार कार्य करने हेतु जागरूक करने की जवाबदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
13. द्वितीय पक्ष के पास जी.एस.टी नम्बर होना अनिवार्य है, समस्त टैक्स जमा करने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी। साथ ही द्वितीय पक्ष को म.प्र. शासन/भारत सरकार द्वारा समय-समय पर लागू किये गये अन्य टैक्स भी जमा कराना अनिवार्य होगा।
14. आवंटित क्षेत्र में वितरक को 100% क्षेत्र कवर करना एवं दुग्ध उत्पादों का विक्रय लक्ष्य अनुसार किया जाना आवश्यक होगा। आवंटित क्षेत्र के निजी रिटेलरों को भी दुग्ध उत्पाद विक्रय करने होंगे।
15. प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित प्रथम वर्ष हेतु माहवार दुग्ध उत्पाद विक्रय लक्ष्यों (गत वर्ष सामान माह के विक्रय में 15 प्रतिशत वृद्धि अनुसार) को प्राप्त करना अनिवार्य होगा। आगामी वर्ष के लक्ष्य पृथक् से निर्धारित कर प्रथम पक्ष द्वारा दिये जायेंगे जिसे द्वितीय पक्ष को शत-प्रतिशत प्राप्त करना होगा। प्रथम पक्ष द्वारा आवंटित विक्रय लक्ष्य द्वितीय पक्ष को मान्य एवं स्वीकार होंगे।
16. द्वितीय पक्ष (दुग्ध उत्पाद वितरक) की कार्य समीक्षा प्रथम पक्ष द्वारा प्रतिमाह की जायेगी तथा द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति न होने की दशा में गतमाह का शेष लक्ष्य आगामी माह के लक्ष्य में जोड़ दिया जायेगा। यदि तीन माह तक कुल संचयित मासिक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जाती है तो त्रैमासिक कार्य समीक्षा उपरांत चेतावनी दी जायेगी एवं अंतिम तीन माह का समय कुल संचयित लक्ष्य प्राप्ति हेतु

दिया जायेगा। अर्द्धवार्षिक समीक्षा उपरांत यदि यह पाया जाता है कि कुल संचयित मासिक लक्ष्यों के विरुद्ध 100% लक्ष्य प्राप्ति नहीं की गई है तो कार्य आवंटन निरस्त कर कार्य से पृथक कर दिया जायेगा।

17. प्रथम पक्ष द्वारा पत्र/परिपत्र के माध्यम से समय-समय पर जो भी निर्देश जारी किये जाएँगे उनका पालन करना द्वितीय पक्ष को अनिवार्य होगा एवं इन परिपत्रों/पत्रों को अनुबंध का भाग माना जाएगा।
18. वाहन में जीपीएस सिस्टम प्रथम पक्ष के माध्यम से लगवाया जायेगा, जिसकी लागत व्यय वितरक को तत्काल दुग्ध संघ में जमा करना अनिवार्य होगा।
19. द्वितीय पक्ष को कार्यादेश प्राप्त करने से पूर्व वाहन पर प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित डिज़ाइन का विनाइल फ्लेक्स सॉची विज्ञापन द्वितीय पक्ष को स्वयं के खर्चे पर लगवाया जाना अनिवार्य होगा, जिसकी प्रिंटिंग खराब हो जाने पर तत्काल नया फ्लेक्स लगाने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
20. द्वितीय पक्ष के वाहन चालक एवं हेल्पर को प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित यूनीफार्म पहनने तथा पहचान पत्र होने पर ही संयंत्र परिसर में जाने की अनुमति दी जाएगी।
21. द्वितीय पक्ष के वाहन में डी.एम./चालान से अधिक माल सिक्योरिटी/अधिकारियों द्वारा पकड़े जाने पर प्रथम बार माल की 50 गुना राशि वसूली जाएगी, बार-बार होने पर प्रथम पक्ष द्वारा आवंटित कार्य निरस्त कर प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जाएगी।
22. संयंत्र से सामग्री लेने के बाद सम्पूर्ण जवाबदारी द्वितीय पक्ष की होगी। अतः द्वितीय पक्ष सामग्री लेने के पूर्व सामग्री चेक करेंगे। रिटेलर तक गुणवत्ता युक्त सामग्री पहुँचाने की सम्पूर्ण जवाबदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
23. द्वितीय पक्ष आवंटित कार्य किसी अन्य व्यक्ति/पार्टी को हस्तांतरित नहीं करेगा। ऐसा करते पाये जाने पर प्रथम पक्ष द्वारा तत्काल प्रभाव से अनुबंध निरस्त कर कार्य से पृथक कर दिया जायेगा।
24. जरूरत पड़ने पर दुग्ध उत्पाद मार्केट से रिकाल करने में द्वितीय पक्ष परिस्थितियों के अनुरूप प्रथम पक्ष के निर्देशानुसार आवश्यक कदम उठायेगा।
25. प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को सॉची के उत्पादों की प्रदायगी के पश्चात् किसी भी स्तर पर उत्पादों की प्रक्रिया, मिश्रण आदि में फेरबदल किया जाता है तो कार्य आदेश निरस्त कर प्रतिभूति राशि राजसात कर ब्लेक लिस्ट किया जायेगा एवं एफ.आई.आर.व न्यायिक कार्यवाही की जायेगी।
26. द्वितीय पक्ष द्वारा संघ में जमा की गई प्रतिभूति राशि, कार्य अवधि पूर्ण होने पर तथा प्रथम पक्ष को अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद प्रतिभूति राशि वापस करने की कार्यवाही की जाएगी। प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
27. सॉची दुग्ध उत्पाद वितरक सह-परिवहनकर्ता (द्वितीय पक्ष), प्रथम पक्ष द्वारा **मार्ग क्रमांक** पर स्थित विक्रय केन्द्रों, (जिनकी संख्या प्रथम पक्ष अपनी आवश्यकतानुसार घटा या बढ़ा सकता है) पर सॉची दुग्ध पदार्थ संघ द्वारा निर्धारित समयावधि में निर्धारित दर पर पहुँचाकर देने होंगे। द्वितीय पक्ष को डेयरी डाक भोपाल से प्राप्त किये गये सॉची दुग्ध उत्पाद का वितरण कार्य सिर्फ इन्सुलेटेड वाहन आवेदन प्रपत्र में उल्लेख अनुसार ही करना अनिवार्य होगा।

- 28.** द्वितीय पक्ष साँची दुग्ध पदार्थ प्रथम पक्ष के डेयरी संयंत्र भोपाल से मांग अनुसार प्राप्त करेगा, किन्तु कितिपय कारणों से जैसे पावर सप्लाई में गड़बड़ी दुग्ध संयंत्र की यांत्रिकी गड़बड़ी से मटेरियल (दुग्ध पदार्थ व अन्य पैकेजिंग सामान आदि) की अनुपलब्धता, हड़ताल, भूकम्प आदि की स्थितियों में यदि प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष की मांग अनुसार उसे साँची दुग्ध पदार्थ उपलब्ध नहीं करा पाता है तो ऐसी स्थिति में प्रथम पक्ष द्वारा किसी भी तरह का हर्जाना आदि नहीं दिया जाएगा।
- 29.** द्वितीय पक्ष निर्धारित दर पर ही दुग्ध पदार्थ विक्रय एजेन्ट को प्रदाय करेगा। यदि ऐसा पाया जाता है कि द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर विक्रय ऐजन्टों से वसूली कर रहा है, तो प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष पर पेनल्टी लगाई जा सकेगी एवं इस प्रक्रिया की बार-बार पुनरावृत्ति की स्थिति में कार्य आवंटन समाप्त किया जा सकेगा।
- 30.** द्वितीय पक्ष के प्रतिनिधि, डेयरी संयंत्र के प्रतिबंधित क्षेत्र यथा लेब, कोल्ड स्टोर, संसाधन, पैकेजिंग कक्ष में नहीं जावेंगे। प्रतिबंधित क्षेत्र में पाये जाने पर प्रथम पक्ष जो भी दण्ड तय करेगा वह वितरक को मान्य होगा।
- 31.** द्वितीय पक्ष की आकस्मिक मृत्यु होने की स्थिति में प्रथम पक्ष उसके मान्य उत्तराधिकारी को उस स्थिति में कार्य आवंटित कर सकता है, यदि वह उत्तराधिकारी प्रथम पक्ष के निर्धारित शर्तों का पालन करने हेतु सहमति देता है। यह निर्णय लेने का अधिकार पूर्णतः प्रथम पक्ष को होगा।
- 32.** द्वितीय पक्ष के वाहन चालक व परिचालक डेयरी संयंत्र में धुम्रपान एवं गुटका खाकर या रख कर नहीं आयेगा, ऐसा करते पाये जाने पर ₹.1000/- का जुर्माना लगाया जावेगा।
- 33.** द्वितीय पक्ष को वाहन में वाहन चालक के अतिरिक्त एक परिचालक लोडिंग/अनलोडिंग हेतु आवश्यक रूप से रखना होगा। द्वितीय पक्ष को कार्य Compensation Act. अनुसार उसके अधीन सभी कर्मचारियों का बीमा कराना आवश्यक है, जिसकी छायाप्रति प्रथम पक्ष के कार्यालय में जमा कराना आवश्यक होगा। द्वितीय पक्ष को वाहन चालक एवं लेबर का नाम व पता प्रथम पक्ष को लिखित में सूचित करना होगा एवं इनका पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाना आवश्यक होगा।
- 34.** प्रथम पक्ष द्वारा किसी भी वाहन चालक व दूध पदार्थ वाहन में कार्यरत परिचालक को संघ परिसर में आने हेतु किसी भी कारण से यदि मना किया गया है तो, उस वाहन चालक व परिचालक को द्वितीय पक्ष अपने वाहन में वितरण कार्य हेतु नहीं लगायेगा। इस शर्त का उल्लंघन करते पाये जाने पर द्वितीय पक्ष का कार्य आवंटन बिना नोटिस दिये निरस्त करने हेतु पूर्ण रूपेण प्रथम पक्ष स्वतंत्र होगा। द्वितीय पक्ष को उसके वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों का पहचान पत्र बनवाना आवश्यक होगा, जो कि उनके द्वारा सत्यापित होगा, जिसे वाहन चालक एवं वाहन सहायक/परिचारक को डेयरी परिसर में प्रवेश के दौरान गले में लटकाना अनिवार्य होगा। पहचान पत्र का व्यय द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जावेगा। इसकी चैकिंग प्रथम पक्ष की सुरक्षा शाखा द्वारा की जाएगी।
- 35.** द्वितीय पक्ष को उसके वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों की संघ द्वारा निर्धारित यूनिफार्म बनवाना आवश्यक होगा, जिसे वाहन चालक एवं वाहन सहायक/परिचारक को पहनना अनिवार्य होगा। यूनिफार्म का व्यय वितरक द्वारा वहन किया जावेगा। इसकी चैकिंग संघ की सुरक्षा शाखा द्वारा की जाएगी।
- 36.** दुग्ध पदार्थ वितरण वाहन में कार्यरत कर्मचारी एवं एजेंटों के बीच उठे विवादों को द्वितीय पक्ष अपनी उपस्थिति में शांतिपूर्वक सुलझावेगा ताकि विवाद न बढ़ने पाये एवं दुग्ध पदार्थ वितरण कार्य में किसी प्रकार की रुकावट न आने दें।

37. द्वितीय पक्ष शासन के समस्त निर्धारित करां आदि के भुगतान हेतु पूर्ण/रूपेण जबाबदार होगा तथा केन्द्र शासन/राज्य शासन के इस विषय पर समय—समय पर दिये गये निर्देशों के पालनार्थ पूर्ण रूपेण बाध्य होगा।
38. द्वितीय पक्ष से किसी भी मद में जो भी अर्थदण्ड/बकाया की राशि वसूली किया जाना इस अनुबंध के अंतर्गत देय होगा की वसूली द्वितीय पक्ष से धनादेश के माध्यम से अथवा उनके द्वारा रखी प्रतिभूति राशि से प्रथम पक्ष द्वारा की जाएगी।
39. यह अनुबंध कार्य आवंटन दिनांक.....तक तीन वर्ष के लिए प्रभावशील रहेगा। प्रथम पक्ष द्वारा दुग्ध उत्पाद वितरक सह—परिवहनकर्ता का कार्य तीन वर्ष की अवधि में विक्रय लक्ष्यानुरूप किये जाने तथा संतोषप्रद पाये जाने, एवं वाहनों की स्थिती तथा इंसुलेशन संतोषप्रद पाये जाने पर चयन प्रक्रिया की शर्तें एवं अनुबंध की समान शर्तों के अंतर्गत अधिकृत समिति की अनुशंसा पश्चात् कार्य अवधि एक—एक वर्ष करके अधिकतम दो वर्ष हेतु आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकेगी।
40. समय—समय पर प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को दुग्ध पदार्थ विक्रय प्रोत्साहन हेतु दिये गये निर्देशों का पालन करने हेतु द्वितीय पक्ष बाध्य होगा एवं यदि प्रथम पक्ष द्वारा यह पाया जाता है कि द्वितीय पक्ष विक्रय प्रोत्साहन हेतु आवश्यक प्रयास नहीं कर रहा है, या कर पा रहा है, या उसे दिये समय—समय पर दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है, जो कि विक्रय प्रोत्साहन कार्य के लिए आवश्यक है, तो ऐसी स्थिति में प्रथम पक्ष अपने व्यावसायिक हितों को सर्वोपरि रखते हुये द्वितीय पक्ष का कार्य आवंटन समाप्त करने हेतु स्वतंत्र होगा।
41. दुग्ध उत्पाद वितरण कार्य हेतु द्वितीय पक्ष का इन्सुलेटेड वाहन स्वयं के नाम से पंजीकृत होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंधित अवधि में वाहन पंजीकरण से सम्बंधित दस्तावेजों में परिवर्तन बिना प्रथम पक्ष की अनुमति के नहीं किया जावेगा। यदि किसी कारणवश द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष से अनुबंधित वाहन विक्रय करता है या उसे बदलना चाहता है, तो इस हेतु प्रथम पक्ष की अनुमति लेना आवश्यक है, तथा वाहन के विक्रय/बदलने के पूर्व वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करना द्वितीय पक्ष का दायित्व होगा। प्रथम पक्ष द्वारा एक बार प्रत्येक मार्ग के लिये वाहन निर्धारित किये जाने पर पूर्ण अवधि पर ऐसी वाहन से या उसके समकक्ष, इंसुलेटेड वाहन से दूध पदार्थ वितरण किया जाएगा, ऐसा न करने की दशा में कार्य आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा।
42. प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष के मार्ग पर निर्धारित किये गये दुग्ध पदार्थ विक्रय केन्द्रों पर द्वितीय पक्ष द्वारा नियमित रूप से दुग्ध पदार्थ प्रदाय किया जावेगा, यदि किसी कारणवश द्वितीय पक्ष किसी दुग्ध वितरण केन्द्र पर दुग्ध पदार्थ प्रदाय बंद करने हेतु बाध्य होता है, तो उसे सम्पूर्ण प्रकरण लिखित में प्रथम पक्ष के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा तथा प्रथम पक्ष के सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त होने पर ही दुग्ध पदार्थ प्रदाय संबंधित दुग्ध विक्रय केन्द्रों पर बंद कर सकेगा। यदि द्वितीय पक्ष द्वारा बिना प्रथम पक्ष की अनुमति के किसी दुग्ध विक्रय केन्द्र पर दुग्ध पदार्थ प्रदाय बंद किया जाता है तो प्रथम पक्ष को हुई हानि के बराबर राशि वसूली जावेगी।
43. द्वितीय पक्ष अथवा उसके कार्यरत स्टॉफ के कारण दुग्ध पदार्थ वितरण बाधित होता है तो प्रथम पक्ष को हुए नुकसान की सम्पूर्ण भरपाई द्वितीय पक्ष से की जाएगी।
44. द्वितीय पक्ष अथवा उसके प्रतिनिधियों द्वारा प्रथम पक्ष के कर्मचारियों/अधिकारियों/संचालकों के साथ अभद्र व्यवहार किये जाने पर प्रथम पक्ष द्वारा निर्देशित कार्यवाही

द्वितीय पक्ष को करनी होगी। आदेशों का पालन न करने की दिशा में किसी भी समय आवंटन निरस्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को रहेगा।

45. उपरोक्त शर्तों के पालन में तथा प्रथम पक्ष द्वारा समय—समय पर दिये गये निर्देशों/आदेशों एवं सूचनाओं का द्वितीय पक्ष द्वारा पालन न करने की दशा में किसी भी समय कार्य आवंटन निरस्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को रहेगा।
46. द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष के अतिरिक्त किसी भी अन्य उत्पादक/प्रतिस्पधी ब्राण्ड का दुग्ध या दुग्ध पदार्थ वितरण नहीं कर सकेगा, यदि ऐसा करते पाया जाता है तो तत्काल प्रभाव से कार्य आवंटन निरस्त दिया जावेगा।
47. द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष के निर्देशानुसार आवंटित क्षेत्र में स्थित शासकीय संस्था, प्राइवेट संस्था, माउर्न ट्रेड के व्यवसाय जैसे वॉलमार्ट, कैटरर, मेस संचालनकर्ता, कैंटीन आदि को दुग्ध पदार्थ प्रदाय करने होंगे। प्रथम पक्ष आवश्यक होने पर इन्हें सीधे प्रदाय करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। इस पर द्वितीय पक्ष को किसी भी प्रकार की आपत्ती का अधिकार नहीं होगा।
48. अभिरुचि की अभिव्यक्ति में निर्धारित आवेदन प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें इस अनुबंध का भाग मानी जाएंगी।
49. यदि पक्षकारों के बीच इस ठेके के विषय में कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो, प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में आरबीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
50. किसी भी विवाद की स्थिति में इस अनुबंध का न्यायालिक कार्यक्षेत्र भोपाल शहर का न्यायालय रहेगा।

यह अनुबंध आवेदन प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तों एवं उपरोक्त शर्तों के अधीन भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल (प्रथम पक्ष) एवं दुग्ध उत्पाद वितरक सह—परिवहनकर्ता (द्वितीय पक्ष) की आपसी रजामंदी के तहत दिनांक..... को निष्पादित किया गया है।

द्वितीय पक्ष, दुग्ध उत्पाद
वितरक सह—परिवहनकर्ता के हस्ताक्षर

नाम.....
पता.....

1. गवाह के हस्ताक्षर

नाम एवं पता:-.....

मर्या.

2. गवाह के हस्ताक्षर

नाम एवं पता:-.....

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
भोपाल सह.दुग्ध संघ मर्या.

प्रभारी (विपणन)
भोपाल सह.दुग्ध संघ

दुग्ध उत्पाद विपणन मार्गों का संक्षिप्त विवरण

मार्ग क्र.	दुग्ध उत्पाद विपणन मार्ग
1	बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी, सुरेन्द्र पैलेस, अहमदपुर कलां, भेल संगम कॉलोनी, कुन्जन विहार, फेस-1, 2, दानिश नगर, ज्योति नगर, संगम कालोनी, आशाराम नगर, बागमुगालिया, कटारा हिल्स, सुरेन्द्र विहार, सेन्चुरी एन्क्लेव कालोनी, श्री रामेश्वरम, स्नेह नगर, विद्या नगर, बागसेवनिया, अरविन्द विहार, कटारा से बराई बायपास तक
4	जानकी नगर, कम्पट गार्डन, ललिता नगर, चाणक्यपुरी, अमलतास फेस-2, चूना भट्टी, यशोदा विहार कालोनी, अमरनाथ कालोनी, श्रीनाथ नगर, महाबली नगर, शिरडीपुरम, कान्हा कुन्ज, आशिर्वाद कालोनी, नयापुरा, दानिश कुंज, राजहर्ष कालोनी, प्रियंका नगर, सर्वधर्म कालोनी, A + B + C, सागर प्रीमियम, शिर्डीपुरम दानिश कुंज, सर्वधर्म पुल से लेकर कजलीखेड़ा तक सम्पूर्ण क्षेत्र
5	एम.पी. नगर, जोन 1 एवं 2, रविशंकर नगर, 5 नं. बस स्टॉप, 6 नम्बर, शिवाजी नगर, माचना कालोनी, चार इमली, पंचशील नगर, भीमनगर, तुलसी नगर, सुनहरी बाग, टी.टी. नगर, साउथ टी.टी. नगर, अराधना नगर, कोटरा सुल्तानाबाद, द्वारिकापुरी कालोनी, गर्वनमेंट क्वार्टर, नया बसेरा, गोमती कालोनी, शास्त्री नगर, पुलिस रेडियो कालोनी, एम.एल.ए क्वार्टर, नेहरू नगर, पुलिस लाइन, 23 बटालियन, सूरज नगर, जवाहर चौक, भारत माता चौराहा, प्रेमपुरा, रातीबड़ा, नीलबड़ा,
6	निसांत कालोनी, सतपुड़ा, भवन, मंत्रालय, अररा हिल्स, मैदामिल, पत्रकार भवन, न्यू मार्केट, रंगमहल, रोशनपुरा, गौतम नगर, रचना नगर, ऑल्ड सुभाष नगर, मुरारजी नगर, अफजल कालोनी, जहांगीराबाद, बुधवारा, इस्लामपुरा, तलैया, इब्राहिमपुरा, काली बस्ती, सुल्तानिया रोड, करबला रोड, रिजवान बाग, कोह-ए-फिजा, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, एन.आर.आई. कालोनी
7	जिन्सी, बरखेड़ी, अल्पना टाकीज़, पीरगेट, घोड़ा नक्कास, जुमेराती, शाहजहानाबाद, इदगाह हिल्स, टीला जमालपुरा, नूर महल, स्टेट बैंक चौराहा, परी बाजार, जानकी नगर, श्यामला हिल्स, सीएम हाउस, प्रोफेसर कालोनी, कमला पार्क, हमीदिया हास्पिटल का ऐरिया, सी.आई. कॉलोनी
8	मथाई नगर, पंचवटी कालोनी, बैरागढ़ कलां, बैरागढ़, भैसाखेड़ी, संत हिरदाराम नगर, मोरीपुरा, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, हलालपुरा बस स्टेन्ड, विजय नगर, लालघाटी, गुफा मंदिर, बैरागढ़ सम्पूर्ण क्षेत्र, चिरायु अस्पताल
9	नादिरा बस स्टेंड, कैंची छोला, सिन्धी कालोनी, काजी केम्प, इब्राहिमगंज, डी.आई.जी., आरिफ नगर, नारियलखेड़ा, छोला, नवाब कालोनी, करोंद, जनता कालोनी, रुसल्ली, न्यू सेन्ट्रल जेल, एयरपोर्ट रोड, गांधी नगर, अब्बास नगर, गोंदरमऊ, गांधी नगर, न्यू बायपास, निशातपुरा, भानपुर, पिपुल्स कालेज, भोपाल मेमोरियल, लाम्बाखेड़ा, नईजेल,
10	अशोका गार्डन, बाग दिलकुशा, बाग फरहत अफजा, उमराव दूल्हा बाग, अशोक विहार, सप्राट कालोनी, नवीन नगर, मयूर विहार, चांदबड़, बजरिया, भोपाल स्टेशन रेल्वे पार्लर, द्वारका नगर, कोलुआ कलां, कोच फैक्ट्री, वर्धमान ग्रीन कालोनी, सुभाष कालोनी, सेमरा, करारिया, साजिदाबाद
11	इण्डस्ट्रियल क्षेत्र, इन्द्रपुरी, सोनागिरी, रत्नागिरी, कल्पना नगर, राजीव नगर, एल.एन.सी.टी. ट्रांसपोर्ट नगर, रजत नगर, निजामुद्दीन, बिजली कालोनी, एम.पी.ई.बी. कालोनी, रूपनगर, गोविन्द गार्डन, गोविन्दपुरा, सचिदानन्द नगर, लक्ष्मी नगर, मोहन नगर, प्रेस कालोनी, अयोध्या नगर, आनन्द नगर, सिद्धार्थ लेक स्टी, अयोध्या बायपास, पटेल नगर, नरेला, इण्डस पार्क, सागर एवेन्यु, इसरो कॉलोनी, एन.आर.आई. कॉलेज
12	मिसरोद, निर्मल स्टेट, सहारा सिवाय कालोनी, इन्डस टाऊन, चिनार इन्डस फेस-2, हरिंगंगा, चिनार ड्रीम सिटी, राधापुरम, कृष्णपुरम, समरधा, सम्पूर्ण मंडीदीप क्षेत्र, मण्डीदीप, महावीर नगर, इण्डस्ट्रियल ऐरिया, नयापुरा

परिशिष्ट 'ल'

दुग्ध उत्पाद वितरक सह—परिवहनकर्ता भोपाल जिला हेतु विक्रय लक्ष्य वर्ष 2020—21

क्र.	माह	विक्रय लक्ष्य वर्ष 2020—2021 राशि रु.में										
		1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	कुल योग
1.	दिसम्बर	761445	739854	1191932	600314	220830	1230118	310196	1162219	841291	504085	9794819
2.	जनवरी	763514	707015	1270552	635905	216162	1349021	257099	1204367	798046	428481	9909538
3.	फरवरी	904188	905970	1593733	828181	384776	1356055	398246	1356691	969485	559917	10697609
4.	मार्च	1627734	1687856	3077780	1676357	908265	1764017	1603516	1857837	1901358	1283366	22280351
5.	अप्रैल	2316043	2533218	5299885	3255218	1832952	2874638	1605804	2364563	3183006	2038167	34853803
6.	मई	2414841	2573017	5371144	3540036	2103126	3475648	1466433	2716589	3355275	2269711	37049561
7.	जून	1924634	2130909	4063664	2716355	1385920	4006784	1071859	2370171	2686047	1773901	30201926
8.	जुलाई	1156047	1271508	2018050	1493314	591010	2462914	466127	1520820	1375972	854550	16576960
9.	अगस्त	1146034	1113588	1802700	1075482	408096	2864465	594923	1400824	1289227	1732040	16897611
10.	सितम्बर	1149388	1106849	1704500	985805	373519	2683488	367250	1236865	1235497	1207475	15318150
11.	अक्टूबर	1346709	1394893	2131470	1187827	464307	3539292	733276	1529832	1624781	1602503	19637371
12.	नवम्बर	859252	895554	1406680	815352	316676	2153707	613924	1253893	989201	477807	12272718
कुल योग		16369829	17060231	30932090	18810146	9205639	29760147	9488653	19974671	20249186	14732003	235490417